FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

कालु बनाम हेमराज

किस्म मुकद्दमा प्रार्थना पत्र नं. 98 सन् 2022

2022/161

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पूर्व में अधिवक्ता प्रार्थीगण के प्रा.पत्र दिनांक 07/2/2025 पर लिखित बहस तथा अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली है, रेकार्ड पर लिए जाते हैं। आज अधिवक्ता विपक्षीगण के प्रा.पत्र दिनांक 07/2/2025 पर लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. मय दस्तावेज तथा दस्तावेज प्रस्तुत किए जो शामिल मिसल किए जावें। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07/2/2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए प्रकरण में पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। इसके पत्रावली का अवलोकन का प्रा०पत्र, जवाब प्रा०पत्र एवं उभयपक्ष .... लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर महत्वपूर्ण से मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार बस्सी से (राजस्व मण्डल राज० अजमेर के प्र. सं. निगरानी / टीए / 1318 / 2023 अनराज हेमराज बनाम कालू में दिनांक 20/3/2023 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रस्तुत प्रकरण में सम्बन्ध राजस्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करने पर) तलब की गई। तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार बस्सी द्वारा विपक्षीगण से मिल कर अपनी रिपोर्ट में लघुतम रास्ते का हवाला नहीं दिया है, जिससे उक्त रिपोर्ट विश्वास योग्य नहीं है अतः पुनः निष्पक्ष अधिकारी से आ.नं. 239, 240 पर पहुंचने की लघुतम रास्ते की स्थिति की रिपोर्ट रेकार्ड पर आ सके। विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लघुतम रास्ता तब प्रस्तावित किया जाता है, जब कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से भी रिपोर्ट सुस्पष्ट प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07/2/2024 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विपक्षीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय .... लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के आदेश दिनांक 09/01/2023 बाबत तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट मंगवाने के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में मा॰ राजस्व मण्डल राज॰ अजमेर द्वारा निगरानी / रिट / 1318/2023 जगदीश हेमराज बनाम कालू में दिनांक 28/3/2023 को पारित निर्णय से इस न्यायालय के आदेश 09/01/2023 को निरस्त कर प्रकरण 98/2022 में अन्य राजस्व तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि मौका रिपोर्ट तलब करने के निर्देश के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार बस्सी से रिपोर्ट तलब की गई है अतः आदेश दिनांक 09/01/2023 की पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 24/7/2023 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को इस प्रकरण में निर्णय में विचारार्थ ग्रहण नहीं किए जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसपे बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. जवाब प्रा पत्र का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिनांक 09/01/2023 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण में दिनांक 28/3/2023 को पारित निर्णय से निरस्त किया जा चुका है तो उक्त आदेश की पालना में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं रहती है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण - - - - लगातार (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे तहसीलदार बस्सी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन अध्ययन का तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिपेक्ष्य मे बहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण के ग्राम पारालिया प०ह० देवरी स्थित खातेदारी आ.नं. 239, 240 पर आने जाने हेतु विपक्षीगण की ग्राम पारालिया स्थित आराजी नम्बर 384, 386 मी., 386/488, 244 मी. 244/486 243 से रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मा. राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा निगरानी नम्बर 1318/2023 मे दिनांक 28/3/2023 को पारित निर्णय से उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अन्य राजस्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करने के निर्देश प्रदान करने पर तहसीलदार बस्सी को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। .....लगातार (नीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए

तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम पारलिया के आराजी संख्या 239 व 240 तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। यह वैकल्पिक रास्ता ग्राम पारलिया व देवरी के आराजी संख्या 78, 77, 76, 75/908, 75, 74, 73, 72, 66, 65, 64, 63, 936/62, 940/62 62 से निकलता हुआ पारलिया के आ. नं. 239 तक पहुंचता है। उक्त रास्ते का रास्ता नक्शे मे अंकन किया हुआ है। ग्राम देवरी के आ. नं. 78 देवरी के आ. नं. 80 सार्वजनिक रास्ते से लगती है तथा देवरी की आराजी संख्या 80 सार्वजनिक रास्ता पारलिया के आ. नं. 410 सार्वजनिक रास्ते से मिलता है तथा देवरी के आ. नं. 79, 78, 77, 76, 75/908, 75, 74, 73, 72, 66, 65, 64, 63, 936/62, 940/62, 62 के पश्चिमी छोर पर रास्ता बना होकर चालू है।

प्रार्थीगण की आराजी संख्या 239, 240 पर आने-जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी आ. नं. 384, 386, 386/488, 244/486, 244, 243 मे दक्षिण ओर रास्ता चाहा गया है। मौके पर मुख्य रास्ता आ. नं. 247 से होकर आ. नं. 384 व 386 के दक्षिणी ओर नक्शे मे डोटेड लाईन होकर मौके पर वर्तमान मे रास्ता बन्द कर रखा है। आ. नं. 384 से होकर आराजी 243 तक डोटेड जो रास्ता है वह 40 वर्षों से चालू होकर आस-पास के सब खातेदार इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। आ. नं. 384 व 386 पर पत्थर की कच्ची दीवार चुन कर व लकड़िया डाल कर विपक्षी खातेदार द्वारा लगभग 4 माह पूर्व उक्त रास्ते को बन्द करना जाहिर आया है।

इस प्रकार तहसीलदार बस्सी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट विस्तृत एवं स्पष्ट है।

.... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर आने जाने हेतु वर्षों पुराना डोटेड रास्ता को विपक्षीगण द्वारा वर्तमान में बन्द कर दिया गया है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध होने से प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः हस्ब मौका रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाने से खारीज किया जाता है। प्रार्थीगण चाहे तो धारा 251 भू.रा.अ. के तहत सक्षम अधिकारी तहसीलदार के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो। (हस्ताक्षर) (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner